न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/13/18	20-02-2018	21-05-2018

1. सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. अज्ञात

अप्रार्थी

भारतीय निखात (दफिना) अधिनियम, 1878 के अन्तर्गत ग्राम विजयपुरा में नरेगा कार्य के दौरान मिली निधि (सम्पदा) के निस्तारण के क्रम में।

—:: निर्णय ::—

तहसीलदार थानागाजी ने पत्र द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 31.08.15 को ग्राम विजयपुरा तहसील थानागाजी में नरेगा कार्य के दौरान खुदाई करते समय मिले 276 ताम्बें के सिक्के जिनकी जानकारी पुरातत्व विभाग एवं संग्राहलय जयपुर को पत्रांक 553 दिनांक 08-09-2015 के द्वारा तहसील थानागाजी ने कार्यालय निदेशालय पुरातत्व विभाग को भेजी जा चुकी है। खुदाई के दौरान मिले 276 ताम्बें के सिक्के जो डबल लॉक पुलिस थाना थानागाजी मे रखे हुये है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर इश्तिहार उज्रदारी जारी किया गया। तथा उज्रदारी नोटिस की एक प्रति उप निदेशक, निदेशालय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक पु0स/मुद्रा/17/60 दिनांक 02-01-2018 के संदर्भ में भिजवाई गई। इश्तिहार उज्रदारी नोटिस की एक-एक उपखण्ड कार्यालय/तहसीलदार कार्यालय/थानाधिकारी कार्यालय एवं इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई गई।

उज्रदारी नोटिस अवधि दिनांक 13.03.18 तक एव इसके पश्चात् आदिनांक तक कोई उज्रदार प्रस्तुत नही हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र उज्रदारी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। इश्तिहार उज्रदारी की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी किसी ने कोई उज्रदारी पेश नहीं की गई। जिससे मिल निधि (सम्पदा) का राजहक निहित होना स्पष्ट होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर भारतीय निखात (दफिना) अधिनियम, 1878 के एवं राजस्थान निखात निधि नियम, 1961 की धारा 6-7 के प्रावधानों के अन्तर्गत नरेगा कार्य की खुदाई के दौरान मिले 276 ताम्बें के सिक्के को राजहक निहित होने के कारण राजसात किया जाता है। तहसीलदार थानागाजी को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस थाना थानागाजी के डबल लॉक में रखी गई उक्त सम्पदा को निदेशक, निदेशालय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक पु0स/मुद्रा/17/60 दिनांक 02-01-2018 के संदर्भ में नियमानुसार सम्भलवाकर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। सिक्कों का निस्तारण करें।

निर्णय प्रति तहसीलदार थानागाजी, थानाधिकारी पुलिस थाना थानागाजी एवं निदेशक, निदेशालय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राज0 जयपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर